सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

4 AASHWIN 1947 (S)

No. 447

RANCHI FRIDAY 26TH SEPTEMBER, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

26th September, 2025

Notification No.- 13/2025 – State Tax(Rate)

S.O. No. 46, Dated 26th September, 2025:-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No. 21/2018- State Tax (Rate), dated the 17th August, 2018, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 57, dated the 17th August, 2018, namely:-

In the said notification, for the Table and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

TABLE

S.No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	Hand crafted candles	2.5%
2.	420222, 420229, 42023110, 42023190, 420232, 420239	Handbags including pouches and purses; jewellery box	2.5%
3.	4416, 4421 9990	Carvedwoodproducts,artware/decorativearticlesofwood(includinginlaywork, casks, barrel, vats)	2.5%
4.	4414	Wooden frames for painting, photographs, mirrors, etc.	2.5%
5.	4420	Statuettes & other ornaments of wood, wood marquetry & inlaid, jewellery box, wood lathe and lacquer work (including lathe and lacquer work, ambadi sisal craft)	2.5%
6.	45039090 450490	Art ware of cork(including articles of sholapith)	2.5%
7.	4601and 4602	Mats, matting and screens of vegetable material, basketwork, wickerwork and other articles of vegetable materials or other plaiting material, articles of loofah [including of bamboo, rattan, canes and other natural fibres, dry flowers (naturally dried), articles thereof, ringal, raambaan article, shola items, Kouna/chumthang (water reeds) crafts, articles of Water hyacinth, korai mat]	2.5 %
8.	4802	Hand-made paper and paperboard	2.5 %
9.	4823	Articles made of paper mache	2.5%
10.	5607, 5609	Coir articles	2.5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	Toran, Doorway Decoration made from cotton yarn or woollen yarn and aabhala (mirror) with or without hanging flaps	2.5%
12.	57	Handmade carpets and other handmade textile floor coverings(including namda/gabba)	2.5%
13.	5804 30 00	Handmade lace	2.5%
14.	5805	Hand-woven tapestries	2.5%
15.	5808 10	Hand-made braids and ornamental trimming in the piece	2.5%
16.	5810	Hand embroidered articles	2.5%
17.	6117,6214	Handmade/hand embroidered shawls	2.5%
18.	6802	Carvedstoneproducts(e.g.,statues,statuettes,figuresofanimals,writingsets,ashtray, candle stand)	2.5%
19.	68159990	Stone art ware, stone inlay work	2.5%
20.	69120010 69120020	Tableware and kitchenware of clay and terracotta, other clay articles	2.5%
21.	69139000	Statuettes & other ornamental ceramic articles (incl. blue potteries)	2.5%
22.	70099200	Ornamental framed mirrors	2.5%
23.	701810	Bangles, beads and small ware	2.5 %
24.	70189010	Glass statues [other than those of crystal]	2.5%
25.	70200090	Glassartware[incl.pots,jars,votive,cask,cakecover,tulipbottle,vase]	2.5%

26.	71131110	Silver filigree work	1.5%
27.	7117	Handmadeimitationjewellery(includingnaturalseeds,beadsjewellery,cardamom garland)	1.5%
28.	73269099	Artware of iron	2.5%
29.	741980	Artware of brass, copper/copper alloys, electro plated with nickel/silver	2.5%
30.	76169990	Aluminium art ware	2.5%
31.	8306	Bells, gongs and like, non-electric, of base metal; statuettes, and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of basemetal; mirrors of base metal; (including Bidriware, Panchloga artware, idol, Swamimalai bronze icons, dhokra jaali)	2.5%
32.	940510	Handcrafted lamps (including Panchloga lamp)	2.5%
33.	940150, 940380	Furniture of bamboo, rattan, and cane	2.5%
34.	9503	Dolls or other toys made of wood or metal; or textile material (including wooden toys of Sawantwadi, Channapatna toys, Thanjavur doll)	2.5%
35.	9504	Ganjifa card	2.5%
36.	9601	Workedarticlesofivory,bone,tortoiseshell,horn,antlers,coral,motherofpearl, seashell, and other animal carving material	2.5%
37.	9602	Worked vegetable or mineral carving materials and articles thereof; articles of wax, Stearin, natural gums or natural resins, or of modelling pastes, etc. (including articles of lac, shellac)	2.5%
38.	9701	Hand paintings, drawings, and pastels (including Mysore painting, Rajasthan painting, Tanjore painting, Palm leaf painting, Basoli, etc.)	2.5%
39.	9703	Original sculptures and statuary, in metal, stone, or any other material	2.5%

2. This notification shall be deemed to be effective from the 22th day of September, 2025.

[File. No. Va.Kar/GST/07/2016 (Part)]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar,
Commissioner,
Commercial Taxes Department

Note: The principal notification No. 21/2018-State Tax (Rate), 17th August, 2018, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 57, dated the 17th August, 2018, and last amended vide notification number 20/2021- State Tax (Rate), dated the 4th March, 2022 published in the Gazette of Jharkhand vide S.O. No. 07, dated the 4th March, 2022.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०. 13/2025- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं46 ., दिनांक 26 सितम्बर, 2025 – झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 21/2018-राज्य कर (दर), दिनांक 17 अगस्त, 2018, जिसे एस. ओ. सं. 57, दिनांक 17 अगस्त, 2018 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियां	2.5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39	हैंडबैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं; ज्वैलरी बॉक्स	2.5 %
3.	4416, 4421 99 90	लकड़ी के नक्काशीदार उत्पाद, कलाकृतियां/लकड़ी की सजावटी वस्तुएं (इनमें जड़ाऊ काम, कास्क, बैरल, वैट्स भी आते हैं)	2.5 %
4.	4414	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लिए लकड़ी के फ्रेम	2.5 %

5.	4420	लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ित, ज्वैलरी बॉक्स, लकड़ी के खरादी और रोगन का काम (जिसमें खरादी और रोगन का काम, अंबाड़ी सिसल शिल्प भी आते हैं)	2.5 %
6.	4503 90 90 4504 90	कॉर्क की कलाकृतियां (जिसमें शोलापिथ की वस्तुएं भी आती हैं)	2.5 %
7.	4601 and 4602	चटाई, चटाई और वनस्पति सामग्री की स्क्रीन, टोकरी का काम, विकरवर्क और वनस्पति सामग्री या अन्य प्लैटिंग सामग्री की अन्य वस्तुएं, लूफा की वस्तुएं [जिसमें बांस, रतन, बेंत और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (प्राकृतिक रूप से सूखे हुए), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगाल, रामबान वस्तुएं, शोला आइटम, कौना/चुमथांग (सरकंडा) शिल्प, जलकुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट भी शामिल हैं]	2.5 %
8.	4802	हस्तनिर्मित कागज और पेपरबोर्ड	2.5 %
9.	4823	कागज के माचे से बनी वस्तुएं	2.5%
10.	5607, 5609	कॉयर की वस्तुएं	2.5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	तोरण, दरवाजे की सजावट जो कपास के धागे या ऊनी धागे और आभला (दर्पण) से बनी हो, चाहे उसमें लटकने वाले फ्लैप्स हों या नहीं	2.5%
12.	57	हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल हैं)	2.5 %
13.	5804 30 00	हस्तनिर्मित लेस	2.5 %
14.	5805	हाथ से बुने हुए कशीदे	2.5 %
15.	5808 10	हाथ से बनी चोटी और अलंकृत ट्रिमिंग, जो अलग-अलग हैं	2.5 %
16.	5810	हाथ से कढ़ाई वाली वस्तुएं	2.5 %
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित/हाथ की कढ़ाई वाले शॉल	2.5 %
18.	6802	पत्थर के नक्काशीदार उत्पाद (जैसे कि मूर्तियां, छोटी मूर्तियां, जानवरों की आकृतियां, राइटिंग सेट, एशट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	2.5 %
19.	6815 99 90	पत्थर की कलाकृतियां, पत्थर का जड़ाई का काम	2.5 %
20.	6912 00 10 6912 00 20	मिट्टी और टेराकोटा से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, मिट्टी की अन्य वस्तुएं	2.5%
21.	6913 90 00	मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक वस्तुएं (ब्लू पॉटरी समेत)	2.5 %

22.	7009 92 00	सजावटी फ्रेम वाले दर्पण	2.5 %
23.	7018 10	चूड़ियां, मनके और छोटी-मोटी वस्तुएं	2.5 %
24.	7018 90 10	कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हैं]	2.5 %
25.	7020 00 90	कांच की कलाकृतियां [इनमें बर्तन, जार, वोटिव, कास्क, केक कवर, ट्यूलिप बॉटल, फूलदान भी आते हैं]	2.5 %
26.	7113 11 10	चांदी के महीन काम	1.5 %
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिनमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, इलायची की माला भी आती है)	1.5 %
28.	7326 90 99	लोहे की कलाकृतियां	2.5 %
29.	7419 80	पीतल, तांबे/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलाकृतियां, जो निकल/चांदी से इलेक्ट्रो-प्लेटेड हों	2.5 %
30.	7616 99 90	एल्यूमीनियम की कलाकृतियां	2.5 %
31.	8306	घंटियाँ, गोंग और वैसी ही वस्तुएं, जो बेस मेटल की हों और गैर-इलेक्ट्रिक हों; बेस मेटल की मूर्तियां, और अन्य आभूषण; बेस मेटल के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम; बेस मेटल के दर्पण; (जिनमें बिदरीवेयर, पंचलौगा कलाकृतियां, मूर्ति, स्वामीमलाई कांस्य आइकन, ढोकरा जाली भी आते हैं)	2.5 %
32.	9405 10	हस्तनिर्मित लैंप (जिनमें पंचलौगा लैंप भी शामिल हैं)	2.5 %
33.	9401 50, 9403 80	बांस, रतन और बेंत का फर्नीचर	2.5 %
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़ा सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने (जिनमें सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने, चन्नपटना खिलौने, तंजावुर की गुड़िया भी आते हैं)	2.5 %
35.	9504	गंजिफा कार्ड	2.5 %
36.	9601	हाथीदांत, हड्डी, कछुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सींग, मूंगा, मदर ऑफ पर्ल, समुद्री शंख, और अन्य पशु-नक्काशी सामग्री से बनी वस्तुएं	2.5 %
37.	9602	काम की हुई वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और उनसे बनी वस्तुएं; मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन, या मॉडलिंग पेस्ट से बनी वस्तुएं आदि (जिनमें लाख, शेलाक की वस्तुएं भी आती हैं)	2.5 %

38.	9701	हाथ की पेंटिंग्स, ड्राइंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, ताड़-पत्ती पेंटिंग, बसोली आदि आते हैं)	2.5 %
39.	9703	धातु, पत्थर या किसी अन्य सामग्री की मूल मूर्तियां और मूर्तिकला	2.5 %

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/07/2016 (खण्ड)]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार,
आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग।

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 21/2018-राज्य कर (दर), दिनांक 17 अगस्त, 2018, जिसे एस. ओ. सं. 57, दिनांक 17 अगस्त, 2018 द्वारा झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 20/2021- राज्य कर (दर), दिनांक 04 मार्च , 2022 के तहत संशोधन किया गया था, जिसे एस. ओ. सं. 07 दिनांक 04 मार्च , 2022 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 447-- 50.